प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना

Lecture - 4

- ममता रानी

Scanned with CamScanner

प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना

प्राचीन भारत को के इतिहास मे सामाजिक संरचना के अन्तर्गत निम्न तथ्यो को समाहित किया जाता है —

⇒ विवाह :— मनुस्मृति में 08 प्रकार के विवाह का वर्णन है, जिसमे प्रधान चार को मान्यता दिया गया है, जैसे :-

(1) ब्रह्म विवाह :- कन्या के वयस्क होने पर उसके माता-पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उसका विवाह कर दिया जाता था।

(2) दैव विवाह :— यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था।

(3) आर्ष विवाह :— कन्या का पिता यज्ञ कार्य हेतु वर से एक जोड़ गाय और बैल प्राप्त कर विवाह कर देता था।

(4) प्रजापत्य विवाह :- वर से पिता वचनबद्धता प्राप्त कर अपने कन्या का विवाह करता था, जिसे बिना दहेज का विवाह कहा गया है।

(5) आसुर विवाह :- इसमे कन्या का पिता धन देकर विवाह करता था।

(6) गान्धर्व विवाह :- कन्या और वर प्रेम या कामुकता में अनुरक्त होकर विवाह कर लेते थे।

(7)
(7) राक्षस विवाह :- बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था।

Scanned with CamScanner

(8) पैशाच विवाह :—
पागल या सोयी हुई कन्या के साथ शारीरिक संबंध बना लेने को इस विवाह की संज्ञा दी गई है।

⇒ अनुलोम विवाह :— इस उच्च वर्ण का पुरुष अपने से ठीक नीचे वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था।

⇒ प्रतिलोम विवाह :— इसमें उच्च वर्ण की कन्या का विवाह निम्नवर्ण को के पुरुष के साथ होता था।

✡ ऋण → प्राचीन काल मे प्रत्येक व्यक्ति को तीन के ऋण का पालन करना होता था—
(i) पितृ ऋण :— संतान उत्पन्न कर इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता था।
(ii) ऋषि ऋण :— अपने पुत्र को शिक्षित कर इससे मुक्ति मिलती थी।
(iii) देव ऋण :— धार्मिक अनुष्ठान कर इससे मुक्ति मिलती थी।

✡ यज्ञ :— गृहस्थों के लिए पाँच प्रकार के यज्ञ का सम्पादन किया जाता था, जो निम्न है—
(i) ब्रह्म यज्ञ :— ऋषियो के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना।
(ii) देव यज्ञ :— देवताओ के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना।
(iii) पितृ यज्ञ — पितरो के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना।
(iv) मनुष्य यज्ञ :— अतिथि सत्कार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना।
(v) भूत यज्ञ :— समस्त जीवो के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना।

Scanned with CamScanner

✡ पुरुषार्थ :-

इसकी संख्या 04 है जैसे —

(i) धर्म - सामाजिक नियम व्यवस्था।
(ii) अर्थ - आर्थिक संसाधन।
(iii) काम - शारीरिक सुखभोग।
(iv) मोक्ष - आत्मा का उद्धार।

✡ संस्कार :- इसका शाब्दिक अर्थ परिष्कार या पवित्रता होता है अर्थात् व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत या पवित्र बनाने के उद्देश्य से संस्कारों का विधान बनाया गया है। इसकी संख्या 16 है जिसका संक्षिप्त वर्णन निम्न है —

(i) गर्भाधान :- इसके अन्तर्गत स्त्री गर्भ धारण करती है। जिसके रात्रि तथा उचित नक्षत्रों का ध्यान रखना आवश्यक था।

(ii) पुंसवन :- गर्भ की रक्षा तथा पुत्र प्राप्ति हेतु गर्भ के तीसरे माह में यह संस्कार किया जाता था।
(iii) सीमान्तोन्नयन :- मानसिक वृद्धि हेतु सातवें या आठवें माह में यह होता था।
(iv) जातकर्म :- इसमें पिता उत्पन्न शिशु को स्पर्श कर उसे आशीर्वाद देता था।
(v) नामकरण :- जन्म के दसवें या बारहवें दिन यह होता था।
(vi) निष्क्रमण :- जन्म के चौथे माह में प्रथम बार अन्न ~~खिलाया~~ घर से बाहर निकाला जाता था।
(vii) अन्नप्राशन :- जन्म के छठे माह में प्रथम बार अन्न खिलाया जाता था।
(viii) चूड़ाकरण (चौल) - जन्म के तीसरे वर्ष में केश काटना।
(ix) कर्ण छेदन :- तीसरे या पाँचवे वर्ष में कान छेदना।
(x) विद्यारम्भ :- गुरु के पास अक्षर ज्ञान करना।

Scanned with CamScanner

(xi) उपनयन :- यज्ञोपवित धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में पवित्र होना।

(xii) वेदारम्भ :- वेद का अध्ययन प्रारंभ

(xiii) केशान्त/गोदान :- सोलह वर्ष की आयु में दाढ़ी मूँछ बनाना।

(xiv) समावर्तन :- शिक्षा समाप्त कर घर लौटना।

(xv) विवाह :- संतान प्राप्ति के लिए विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना।

(xvi) अन्त्येष्टि :- यह मनुष्य का अंतिम संस्कार है जो मृत्यु के बाद सम्पन्न होता है।

प्रमुख दर्शन	प्रतिपादक
सांख्य	कपिल
योग	पतंजलि
न्याय	गौतम
वैशेषिक	कणाद/उलुक
पूर्व मिमांसा	जैमिनी
वेदान्त/उत्तर मीमांसा	बादरायण

→ उपर्युक्त को षड्दर्शन कहा गया है।

=*=

Scanned with CamScanner